आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
06/10/2012	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **आंगनबाड़ी अपील सं0 22/2012** **रेणु देवी बनाम राज्य एवं अन्य** **आदेश** इस मामले की सुनवाई अपीलकर्त्ता रेणु देवी तथा बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की उपस्थिति में की गयी। अपीलकर्त्ता ने जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा चयनमुक्त करने संबंधी निर्गत आदेश दिनांक 09/06/2012 को चुनौती देते हुए स्वीकार किया है कि उसके द्वारा पंजियों को नहीं दिखाना और जाँच में सहयोग नहीं करना उसकी भूल है। पूरे मामले की समीक्षा से स्पष्ट है कि प्रश्नगत केन्द्र के संबंध में पूर्व में किसी प्रकार की शिकायत नहीं है और पल्स पोलियो अभियान में सहायिका की भागीदारी के कारण अपीलकर्त्ता के उपर मानसिक दबाव होना स्वाभाविक प्रतीत होता है। वैसे भी उसके विरुद्ध किसी प्रकार के विशिष्ट आरोप नहीं है, इसलिए चयन मुक्त संबंधी आदेश न केवल अप्रत्यानुपातिक है, बल्कि वैधानिक दृष्टिकोण से अपरिहार्य नहीं है। उपरोक्त परिस्थितियों में अपीलकर्त्ता को भविष्य में अपना आचरण सही रखने की चेतावनी देते हुए प्रश्नगत आदेश को निरस्त किया जाता है तथा उसका चयन बहाल किया जाता है। लेखापित एवं संशोधित जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा। जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।	